राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक स्टेशनरी स्टोर/(29)/2019/ दिनाक

निदेशक
सूचना एव जन सम्पर्क निदेशालय
राज. जयपुर।

विषय: कम्प्यूटर स्टेशनरी एव जनरल स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति हेतु ई–निविदा सूचना प्रकाशित कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राज जयपुर (चिकित्सा पक्ष) मुख्यालय पर वर्ष 2019 20 हेतु कम्प्यूटर स्टेशनरी एव जनरल के सामान की आपूर्ति हेतु दर सविदा पर खुली ई-निविदा आमंत्रित की जानी है। कृपया सलग्न ई–निविदा सूचना को नियमानुसार समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे, साथ ही आपके विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करने का श्रम करें।

सलग्न-- 1 निविदा सूचना 10 प्रतिया एव
निविदा की शर्तो मय सी.डी.

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए
राज जयपुर

क्रमाक: स्टेशनरी स्टोर/(29)/2019/222 दिनाक 19/6/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया सलग्न ई निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
2. प्रभारी, E-Proc पर अपलोड करवाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए
राज जयपुर

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर

स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु

ई–निविदा प्रपत्र

ई–मेल पता stationarystore123@gmail.com
ऑफिस टेलिफोन न0 0141–2228055

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक: स्टेशनरी स्टोर/2019/418 दिनाक 17/6/2019

ई–निविदा सूचना संख्या 01/2019–20

निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर के उपयोग के लिए लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) के क्रय/दर सविदा किये जाने हेतु ई–निविदा ऑनलाईन के माध्यम से दर सविदा (तकनीकी एव वितीय) निविदाऐ दिनाक 05.07.2019 को अपरान्ह 12.00 PM बजे तक आमन्त्रित की जाती है -

क्र सं	विवरण	अनुमानित निविदा राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	प्रोसेसिंग शुल्क (MD RISL के पक्ष मे)	निविदा डाउनलोड करने की तिथि एव समय	निविदा अपलोड करने की अतिम तिथि एव समय	निविदा प्राप्ति की अतिम तिथि एव समय	निविदा खोलने की तिथि एव समय
1	लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम)	2000000/–	40000/	500/	1000/	20.06.2019 03.00 PM	05.07.2019 12.00 PM तक	05.07.2019 05.00 PM तक	08.07.2019 11.00 AM तक

सामान्य शर्ते:–

1 बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

2 निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सबधित नियम व शर्ते, विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in एव सूचना एव जन सम्पर्क विभाग की वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in एव राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 500/– निविदादाता द्वारा पृथक से ड्राफ्ट निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर के नाम से निविदा के साथ सलग्न करना होगा। निविदाऐ निर्धारित प्रपत्र मे ही स्वीकार की जावेगी।

3 निविदाऐ ऑनलाईन ही स्वीकार की जायेगी।

4 निविदाऐ सीलबद लिफाफे मे (हार्डकॉपी) जिसके ऊपर सबंधित निविदा का विवरण अकित हो, निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर के कार्यालय मे दिनाक 05.07.2019 को अपरान्ह 05.00 PM बजे तक पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त तकनीकी निविदाऐ दिनाक 08.07.2019 को 11.00 AM बजे उपस्थित निविदादाताओ

या उनके प्रतिनिधियो की उपस्थिति मे कमरा न. बी– 5, स्टेशनरी अनुभाग, निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर मे खोली जावेगी ।

5 निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐ डाक द्वारा या विलम्ब से प्राप्त होने वाली निवदाऐं स्वीकार नही की जावेगी ।

6 उक्त निविदाओ को आशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर का होगा।

7 सशर्त निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य है।

8. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु शर्ते :–

1. अनिवार्य शर्तेः–

(1) निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि ।

(2) निविदा प्रपत्र वेवसाइट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/–ड्राफ्ट।

(3) MD RISL के नाम 1000 रूपये का डीडी दिया जाना अनिवार्य होगा।

2. आवश्यक शर्तेः–

(1) जीएसटी पजीयन सख्या का प्रमाण पत्र स्वय द्वारा प्रमाणित तथा 31 03 2019 तक जीएसटी पेमेन्ट का लेजर चालान।

(2) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति ।

(3) तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वय द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।

(4) फर्म को राजकीय विभागो/सस्थाओ में आपूर्ति किये गये लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) का सतोषजनक कार्य का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है (अनुभव का प्रमाण–पत्र सलंग्न करे)

(5) फर्म की वितीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 में बिक्री/टर्न ओवर औसत रूपये 14.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण–प्रत्र/अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है ।

(6) निविदा के साथ सलग्न नमूना लिस्ट एनेक्सर "आई" के अनुसार नमूने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नमूने प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे दरो पर विचार नही किया जायेगा तथा MSME firm के तहत छूट लेने पर UEM/EM Part-II दस्तावेजो के साथ सलंग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

9 वित्तीय दरे ऑनलाईन (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निविदादाता प्रस्तुत करे) ऑनलाईन प्रस्तुत दरो पर ही उपापन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

10 निविदा मे आमत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनाक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, दरो को

आपसी सहमति से R T.P.P 2013 के नियम 29 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।

11 तकनीकी निविदाये खोले जाने के 5 दिवस मे नमूना प्रस्तुत किया जाना है।

12 प्रस्तुत किये गये नमूनो की जॉच उपापन समिति द्वारा की जावेगी । नमूने अनुपयुक्त पाये जाने पर उस निविदा की दरो पर विचार नही किया जावेगा ।

13 बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एव लघु उद्योग विभाग उन मदो के सम्बन्ध मे जिसके लिये वे इस रूप मे रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमाक : प1(1)वित्त/सा नि लेनि /2007 दिनाक 19 10 2010 परिपत्र सख्या 24/2010 मे वणित है के अनुसार प्रस्तुतकिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि मे छूट देय नही होगा।

14 सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है । अनुबन्ध अवधि के दौरान कय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। अधिकतम क्रय राज. लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अनुसरण मे निम्नानुसार होगी –

1 यदि उपापन सस्था परिस्थितियो मे परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नही करती है या बोली दस्तावेजो मे विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजो मे अन्यथा उपबधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

2 अतिरिक्त मदो या अतिरिक्त परिमाणो के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजो मे उपबधित हो, सविदा मे दी गयी दरो और शर्तो पर दिये जा सकेगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलिया आमन्त्रित करने के पश्चात दिया गया था । प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी । पुनरादेश की सीमाए निम्नलिखित होगी –

(क) सकर्मो की दशा मे व्यष्टिक मदो की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल सविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ख) मूल सविदा के माल या सेवाओ के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

15 विशेष परिस्थितियो मे राज लोक उपापन मे पारदर्शीता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।

16 राज्य मे दि. 26 01 2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। एवं GFAR अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगे ।

17 Online form submission details.

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

अन्तिम तिथी : 05 07 2019

समय :– दोपहर 12 00 PM बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क –500/–

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

1 लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) के क्रय/दर सविदा के लिये निविदा।

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर.. . . ..
. . . .
.. . .

3 किसको सम्बोधित किया गया– निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर

4. सदर्भ क्रमाक : . .. .

5 निविदा शुल्क– 500/–रूपये नकद रसीद,सख्या... . . . . एव दिनाक . . . .
के द्वारा जमा करवा दी गई है ।

6 MD RISL के नाम डी डी. सख्या.. .. .. एव दिनाक .. . .

7 हम निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना सख्या . दिनाक . ... .. मे वर्णित सभी शर्तो से तथा सलग्न प्रपत्र मे दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठो पर उनमे उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)

8. निविदा द्वि–प्रकमी बोली के रूप मे आमत्रित की गयी है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजो की स्वत द्वारा प्रमाणित प्रति सलग्न कर तकनीकी निविदा लिफाफा मे रखी जावें ।

(1) तकनीकि निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित ।

(2.) एनेक्सर–ए हस्ताक्षरित । (Compliance With The Code Of Integrity & No. Comflict Of Interest)

(3) एनेक्सर–बी हस्ताक्षरित । (Declaration By Bidders Regarding Qualifications)

(4.) एनेक्सर–सी हस्ताक्षरित । (Grievance Redressal During Procurement Process)

(5) एनेक्सर–डी हस्ताक्षरित । (Additional Conditions Of Contract)

(6) एनेक्सर ई हस्ताक्षरित ।

(7) एनेक्सर एफ हस्ताक्षरित ।

(8) एनेक्सर जी हस्ताक्षरित ।

(9) एनेक्सर एच हस्ताक्षरित ।

(10) एनेक्सर आई हस्ताक्षरित।

(11) एनेक्सर जे हस्ताक्षरित।

9 बोली प्रतिभूति राशि रूपये .. का (निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर के नाम) बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक सख्या .. .. जो .... (बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान सख्या . . .. दिनाक . .. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे सलग्न किया जाता है।

10 PAN नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

11 GST नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

12 GST रिटर्न 31 03 2019 तक ।

13 आयकर रिटर्न की प्रतियां 2016–17, 2017–18, 2018–19

14 MSME की दशा मे VEM/EM Part-II का दस्तावेज आवश्कय रूप से सलग्न करावे। इसके अभाव मे फर्म की MSME की सीमा मे विचार नही किया जावेगा।

15 CA द्वारा परीक्षित लेख / प्रमाण पत्र।

16 टर्न ऑवर का प्रमाण पत्र।

17 Purchase and price perfrence procurement from micro, small and medium Enterprises Certificate Clause 10 form B Clause 11.

18. निविदा मे आमन्त्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनाक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी , दरो को आपसी सहमति से RTPP के नियम 29 (10) के अनुसार घटाई जा सकती है।

19 निविदा के साथ जीएसटी प्रमाण–पत्र के साथ दिंनाक 31.03.2019 तक जीएसटी चुकता प्रमाण–पत्र एव आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

20 जिन सामान की कीमत पर जीएसटी अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो मे किया जावे । जिस सामान की दरे जीएसटी सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो के साथ किया जावे ।

21 नमूना लिस्ट एनेक्सर "आई"के अनुसार नमूने प्रस्तुत करना अनिवार्य है । प्राप्त नमूनो की जाच तकनीकी समिति द्वारा की जावेगी तथा अनुपयुक्त नमूनो की दरो पर विचार नही किया जावेगा।

22. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवॅ स्पेसिफिकेशन सलग्न एनेक्सर–ई के अनुसार है ।

(ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरे अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर–एच मे अकित की गयी है। उक्त वित्तीय निविदा पत्र को अलग से वित्तीय निविदा के लिफाफे मे बन्द किया गया है ।

23 क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश की आपूर्ति 5 दिवस तक कम की जा सकेगी । माल की सुपुर्दगी समय–समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी ।

24. विनिर्माता/डीलर आदि का ऑनलाईन घोषणा पत्र भी सलग्न किया जाता है। सलग्न– ऐनेक्सर–"एफ"

25.निविदा प्रपत्र मे अकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अकित न की जावे। सशर्त निविदाऐं स्वीकार नही की जावेगी।

26 एनेक्सर–एच मे मूल दर प्रति नग, जीएसटी प्रति नग एव कुल राशि प्रति नग को निर्धारित कॉलम मे पृथक–पृथक स्पष्टरूप से दर्शाया जावे।

27 यदि फर्म किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने मे किसी अपरिहार्य कारण से असमर्थ है तो उसे लिखित रूप मे कारणो को प्रमाणित दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करना होगा उसके उपरान्त क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम फर्म द्वारा उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा । यदि फर्म उक्त सामग्री सप्लाई नही करती है तो सरकार स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार मे उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतत्र होगी एवं अन्तर राशि फर्म की अमानत राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी ।

28 तकनीकि निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते :–

1 अनिवार्य शर्ते:–

(1) निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि ।

(2) निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–ड्राफ्ट।

(3) 1000 रूपये का ड्राफ्ट MD RISL के नाम प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) उक्त समस्त दस्तावेज भौतिक रूप से बद लिफाफे में कार्यालय समय मे निर्धारित अवधि मे जमा करवाया जाना होगा।

2 आवश्यक शर्ते:–

(1) जीएसटी पजीयन सख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित तथा 31.03.2019 तक जीएसटी पेमेन्ट का लेजर चालान।

(2) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति ।

(3) फर्म को राजकीय विभागो/संस्थाओं में आपूर्ति किये गये लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) कार्य का एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। सबन्धित दस्तावेजों की संतोषजनक कार्य की प्रति प्रस्तुत की जावे।

(4) फर्म की वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 मे बिक्री/टर्नओवर औसत रूपये 14.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए का प्रमाण–प्रत्र/अकेक्षित लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।

(5) निविदा के साथ सलग्न नमूना लिस्ट **एनेक्सर "आई"** के अनुसार नमूने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नमूने प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे दरो पर विचार नही किया जावेगा। यदि Firm MSME के तहत छूट चाहती है तो VEM/EM Part-2 सलग्न करे इसके अभाव मे फर्म का MSME के तहत विचार नही किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

29. **तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जावेगी।**

30 सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है । जो क्रय राज. लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अनुसरण मे निम्नानुसार होगी :–

(1) यदि उपापन सस्था परिस्थितियो मे परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नही करती है या बोली दस्तावेजो मे विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजो मे अन्यथा उपबधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

(2) अतिरिक्त मदो या अतिरिक्त परिमाणो के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजो मे उपबधित हो, सविदा मे दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगे यदि मूल आदेश खूली प्रतियोगी बोलिया आमत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से वढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाए निम्नलिखित होगी–

(क) सकर्मो की दशा मे व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल सविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ख) मूल सविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

31 राज लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर सविदा के अधीन कीमते, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने सम्बधी खण्ड दर सविदा के निबधनो और शर्तो मे सम्मलित किया जाएगा। कीमत गिरने का खण्ड दर सविदाओ में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबध करता है कि यदि दर सविदा धारक, दर सविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य मे किसी को दर सविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, सकर्मो या सेवाए देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर सविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर सविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वत कम हो जायेगी और दर सविदा तदनुसार सशोधित की जायेगी। समानान्तर दर सविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर सविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर सविदा धारक फर्म और मूल दर सविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए ससूचित की जायेगी। यदि कोई दर सविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नही होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नही किया जायेगा।

32. बोली प्रतिभूति बैकर चैक या मागदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैक के विनिर्दिष्ट रूपविधान मे बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढाई गयी विधि मान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए ।

33. बोलीयो की विधिमान्यता की कालावधि राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–48 के अध्यधीन होगी ।

34. वित्तीय बोलियो मे अकगणितीय त्रुटियो का सुधार बोली मूल्याकन समिति राज लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–64 के अध्यधीन कर सकेगी ।

35. उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्याकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरो से RGST कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में जीएसटी का तत्व सम्मिलित किया जावेंगा ।

36. बोलियो के मूल्याकन और संविदा के अधिनिर्णय मे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजो में यथा वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जावेगा ।

37 उपापन संस्था बोली लगाने वालो के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियो को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है । ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जावेगे ।

38 विशेष परिस्थितियो मे राज लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।

39 बोली दस्तावेजो मे परिवर्तन :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, धारा 23 के उपबधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजो को उपान्तरित कर सकेगी।

40 दर संविदा की प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 के अनुसार होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1 निविदादाता का नाम

2 डाक का पता

3 टेलीफोन न (दुकान) . . ..

(मोबाईल) ....

जयपुर, दिनाक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

एनेक्सर–ई

क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) का विवरण

क्र0 सं0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	अनुमानित मात्रा 3	पूर्ण स्पेसिफिकेशन/मार्का अकित किया जावें। 4
1	टाईप कार्बन, नीले/काले 210X330 MM	300 पैकेट	
2	फाइल लगोट रेग्जीन/क्राफ्ट पेपर से निर्मित 4X27 इच	20000 नग	
3	गोन्द सुपिरियर क्वालिटी 300 एम एल	600 शीशी	
4	फाइल लेस दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 24 ईच(9/24) सुपिरियर क्वालिटी	1000 ग्रूस	
5	फाइल टेग दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 8 इच सुपिरियर क्वालिटी	2000 ग्रूस	
6	फैक्स रोल 30 मीटर	1000 रोल	
7	आलपिन सुपिरियर क्वालिटी 100 ग्राम प्रत्येक पैकेट	1000 पैकेट	
8	स्लीप पैड न 8 लाइनदार सुपिरियर क्वालिटी	300 नग	
9	होल्डर रिफिल सहित डेस्क होल्डर	100 नग	
10	रिफिल सादा लाल/नीली	800 नग	
11	जोटर रिफिल लाल/नीली	300 नग	
12	पेपर वेट कॉच के	500 नग	
13	स्टाम्प पैड मिडियम 100mm x 70mm	200 नग	
14	रिसिप्ट रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	300 नग	
15	डिस्पेच रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	300 नग	
16	डाक पुस्तिका लेजर पेपर 200 पेज	500 नग	
17	दो मुह के होल्डर लाल/नीले	100 नग	
18	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 215X345 एमएम (एफएस साईज)	1000 नग	
19	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम (ए–4 साईज)	1500 नग	
20	फैक्स थर्मल रिबन	300 नग	
21	रबड सुपिरियर क्वालिटी	150 नग	
22	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी ए–4 साइज विभाग के मौनोग्राम सहित	1000 नग	
23	उपस्थिति पजिका 17X27/4 70 जीएसएम 48 पृष्ठ	100 नग	
24	वाहन के लिए लॉक बुक प्रत्येक लॉक बुक मे 300 पृष्ठ	100 नग	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	अनुमानित मात्रा 3	पूर्ण स्पेसिफिकेशन/मार्का अंकित किया जावें।4
25	डाक पेड प्लास्टिक स्टेण्डर्ड साइज	100 नग	
26	हाई लाईटर 1x5 प्रत्येक पैकेट	30 पैकेट	
27	पेन ऐडजेल	500 नग	
28	पेन रिफिल ऐडजेल	500 नग	
29	पेन पॉयलेट	500 नग	
30	स्टेनो बुक	100 नग	
31	फाईल कवर कोबरा	100 नग	
32	मोमबत्ती	100 नग	
33	चपडी	10 के जी	
34	स्ट्रीप फाईल	50 नग	
35	डिलिंग क्लर्क डायरी	50 नग	
36	स्टाम्प पेड बडी साईज	50 नग	
37	वीं सिग्नेचर पेन	200 नग	
38	स्टाम्प रील कम्प्युटराईज पर लाईन	500 नग	
39	व्हाईट फ्लूड पेन 30 एम एल	200 नग	
40	कलर्ड स्पाइरल डायरी	200 नग	
41	सी डी आर 1x48x 700 MB	1000 नग	
42	शॉपनर सुपिरियर क्वालिटी	150 नग	
43	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी एफएस साइज विभा के मोनोग्राम सहित	1000 नग	
44	स्पेरियल डायरी 6 न	200 नग	
45	पिन कुशन मेगनेटिक प्लास्टिक	300 नग	
46	पेपर वेट प्लास्टिक	500 नग	
47	वॉल पैन बडी साइज	1000 नग	
48	पैन स्टेण्ड प्लास्टिक	100 नग	
49	स्टेपलर पिन 10 न 10–1 एम	500 पैकेट	
50	स्टेपलर पिन 24 न 24/6	400 पैकेट	
51	क्लर्ड फ्लैप्स 1x3 (24.4 mm x 76 mm) प्रति पैकेट 3 कलर प्रति पैकेट 50 शीट्स	500 पैकेट	
52	रूल पेन्सिल एच बी सुपिरियल क्वालिटी	150 पैकेट प्रत्येक पैकेट मे 10	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	अनुमानित मात्रा 3	पूर्ण स्पेसिफिकेशन / मार्का अंकित किया जावें। 4
53	ए सी आर फार्म राजपत्रित / अराजपत्रित हरा पेपर 17x27/2 60 जीएसएम पेपर	1500 नग	
54	नोटशीट मय कार्यालय का नाम 75 जीएसएम लेजर पेपर फुल साइज	60000 नग	
55	इन्डेक्स फाईल फोल्डर	50 नग	
56	प्लास्टिक लिफ फोल्डर	100 नग	
57	प्लास्टिक कार्ड फोल्डर	50 नग	
58	सी डी आर डब्ल्यू	300 नग	
59	पेपर कटर	150 नग	
60	मिटिंग स्टेण्ड	20 नग	
61	मार्कर पेन	150 नग	
62	स्टॉक रजिस्टर 300 पेज 17x27/4	10 नग	
63	पोकर प्लास्टिक	400 नग	
64	स्टाम्प पेड की इंक 30एमएल	100 नग	
65	रिंग फाईल प्लास्टिक	200 नग	
66	स्केल 12" प्लास्टिक	100 नग	
67	सी.डी. मार्कर पैन (सीडी पर लिखने वाले) सभी कलर	150 नग	
68	लाईनदार रजिस्टर 60 जीएएम पेपर (17X27/4 इंच 300 पेज)	500 नग	
69	लाईनदार रजिस्टर 150 पेज (19X30 सेमी) पेपर की साईज	300 नग	
70	एल्फाबेटिक रजिस्टर 500 पृष्ठ	200 नग	
71	एल्फाबेटिक रजिस्ट 300 पृष्ठ	200 नग	
72	जैम क्लिप (100 नग प्रति पैकेट) 30 एम एम.	200 नग	
73	जैम क्लिप प्लास्टिक कोटेड (100 क्लिप प्रति पैकेट 28, 33 एमएम) Zen एव इसके अनुरूप	200 नग	
74	ट्रान्सपरेन्ट टेप 1 इंच 45–55 मीटर	300 नग	
75	ट्रान्सपरेन्ट टेप 2 इंच 45–55 मीटर	300 नग	
76	खाकी टेपरोल 2 इंच 50 मीटर	300 नग	
77	बाईन्डर क्लिप– 19 एमएम	500 नग	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 स0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशो नग 2	अनुमानित मात्रा 3	पूर्ण स्पेसिफिकेशन / मार्का अंकित किया जावें। 4
78	वाईन्डर क्लिप-- 25 एमएम	500 नग	
79	वाईन्डर क्लिप--32 एमएम	500 नग	
80	वाईन्डर क्लिप-- 41 एमएम	300 नग	
81	ग्ल्यू स्टीक 15 ग्राम	500 नग	
82	स्ट्रीप फाईल ए-4 साईज	300 नग	
83	एन्गेजमेन्ट स्टेण्ड प्लास्टिक "6X8" साईज	200 नग	
84	खाकी पेपर (स्टार क्राफ्ट 100 जीएसएम) 36X46	50 रिम	
85	पे पोरिटग रजिस्टर आर बी 200 पृष्ठ	200 नग	
86	बिल रजिस्टर आर बी	50 नग	
87	बिल ट्रेजरी रजिस्टर आर बी	50 नग	
88	आकस्मिक खर्च पंजिका 200 पृष्ठ	10 नग	

एस0एस0आई0 यूनिट से संबंधित आरक्षित मदों की सूची

क्र0 स0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशो नग 2	अनुमानित मात्रा 3	पूर्ण स्पेसिफिकेशन / मार्का अंकित किया जावे। 4
89	लिफाफे साइज क्राफ्ट क्लॉथ कपडा 16X12	10000 नग	
90	लिफाफे क्राफ्ट सुपिरियर क्वालिटी 10X12 मय नाम के	10000 नग	
91	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 11X5 मय नाम के	10000 नग	
92	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 9X4 मय नाम के	10000 नग	
93	फाइल पैड फुल फ्लेप मय डोरी 32 औन्स गत्ता	30000 नग	
94	फाइल कवर सुपिरियर क्वालिटी 2 पीस में	40000 नग	

नोट:–

1. निविदा के साथ सभी आइटमो के सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं क्रय गुणवत्ता पर आधारित होगी ।
2. वित्तीय निविदा मे दरे अकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि एनेक्सर "ई" के कॉलम सख्या 4 में जो मेक/स्पेसिफिकेशन अकित किया है, उसी वस्तु/सामग्री की दरे वित्तीय निविदा मे अकित की जावे।
3. निविदादाता द्वारा एनेक्सर ''आई'' में नमूना प्रस्तुत किया है अथवा नही अकित किया जावे ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1 निविदादाता का नाम

2 डाक का पता

3 टेलीफोन न (दुकान) .. . .
(मोबाईल) . .

जयपुर, दिनाक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्टाम्प

एनेक्सर–एफ

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/ स्टोर्स/ उपकरणें के लिए निविदा दी है, उनका/मै/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/ सोल विवरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिग/ विपणन एजेण्ट है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप मे समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

एनेक्सर–जी

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1 निविदाओ को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशो के अनुसार उचित रूप से ऑनलाइन ही करना चाहिए।

2. (1) फर्म के गठन आदि मे किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित मे ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से सविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जाएगा।

(2) सविदा के सम्बन्ध मे फर्म मे किसी भी नए भागीदार / भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म मे तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एव क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध मे लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद मे उपरोक्त रूप मे स्वीकार की गई किसी भागीदारों की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह सविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. जीएसटी पजीयन एव चुकती प्रमाण पत्र– कोई भी डीलर यदि उस राज्य मे, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, GST के अन्तर्गत पजीकृत नही है तो वह निविदा नही देगा। जीएसटी पजीयन सख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से जीएसटी चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा इसके अभाव के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

4 निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे निविदा के समस्त निबधनो एव शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण मे हस्ताक्षर करेगा।

5 दर शब्दो एव अको दोनो मे लिखी जाएगी। इसमे कोई त्रुटियॉ एव /या उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एव उन पर दिनाक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरो मे राजस्थान बिक्री कर (RGST) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (CGST) की राशि को पृथक मे दिखाना चाहिए।

6. दरे गन्तव्य स्थान पर एफ ओ. आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमे सभी आनुषगिक प्रभारो को शामिल करना चाहिए किन्तु चुगी, केन्द्रीय/राजस्थान GST को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायो के मामले मे दरो में समस्त करो आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारो का सरकार द्वारा भुगतान नही किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरो पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुगी का भुगतान नही किया जाता है। अत इन दरो मे चुगी एव स्थानीय करो आदि को शामिल नही करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुन बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप मे उपयोग मे लेने के लिए है, तो इन दरो मे चुगी एव स्थानीय करो को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा मे विहित प्रारूप मे एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

7. राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरो की तुलनाः— उन फर्मो की बोलियो का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही है मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान Goods Service Tax कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों मे Central Goods & Service Tax का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

8 मूल्याकन मे कीमत/क्रय अधिमान— बोलियो के मूल्याकन और सविदा के अधिनिर्णय मे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों मे यथा—वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

9 विधिमान्यता—निविदाये वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से 90 दिन/3 माह के भीतर सक्षम मजूरी प्रशासनिक विभाग द्वारा ली जावेगी । यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि विशेष परिस्थितियो मे अधिक हो सकती है।

10 ठेकेदार अपनी सविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या उप—भाडे (सब लैट) पर नही देगा।

11 विनिर्देश — (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऍ निविदा मे निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओ की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदो को पूर्णरूप से उन विनिर्देशो के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(ii) तारा चिन्ह् से अकित/क्रम सख्या .. पर अकित वस्तुओ का प्रदाय, अन्य बातो के साथ, अनुमोदित नमूनो के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियो के मामले मे, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहॉ अत्युत्तम गुणवता एव विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी / क्रेता समिति का इस सम्बन्ध मे कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऍ विनिर्देशो के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एव निविदादाताओ के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वारटी/ गारटी खण्ड—निविदादाता यह गारटी देगा कि माल/ सामान/ वस्तुऍ खरीदे जाने वाले उक्त माल/ सामान/ वस्तुओ की सुपुर्दगी के दिनाक से ... दिनो / माहो की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवॅ गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी ,तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालो/ सामानो /वस्तुओ का निरीक्षण कर लिया है एव / या उन्हे अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनो / माहो की उक्त अवधि मे, उक्त मालो / सामानो / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एव गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है तथा (उस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालो / सामानो/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नही पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/ सामान/ वस्तुऍ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गई शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

12. नमूने— अनुसूची मे अकित वस्तुओ की निविदाओ के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओ के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय मे प्राप्त किए जाएगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हे भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर / आर या जीआर एक पृथक रजिस्टर्ड

लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग /खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पॉलीथीन के थैलो मे निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

13 प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की कम सख्या जिसका वह अनुसूची मे नमूना है, आदि लिखे जाऐगे। इनके अलावा अन्य किसी सख्यात्मक मान का अंकन नहीं किया जावे अगर इसका उल्लेख किया गया तो निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

14 अनुमोदित नमूनो को सविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक नि शुल्क रखा जाएगा। इस अवधि मे इन नमूनो को प्रतिधारित करने के दौरान उनमे परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनो को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप मे उन्हे लौटाने की व्यवस्था नही करेगी। सविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नही किए जाते है तो उन्हे सरकार द्वारा समपहृत (Forfeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नही किया जाएगा।

15. असफल निविदादाताओ द्वारा अनुमोदित नही किए गए नमूनों को प्राप्त किया जाएगा। जिस अवधि मे इन नमूनो को रखा जाता है उनमे परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएगे उन्हे समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नही किया जाएगा।

16 प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशो या अनुमोदित नमूनो के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एव तत्समान परीक्षण गृहो मे कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणो के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशो के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

17. रद्द करना :–

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वय की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आशिक रूप मे बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किए जाएगे, अनुमोदित दरो मे से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

18. रद्द की गई वस्तुओ को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम पर उसके मद्दे उन वस्तुओ को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

19 निविदादाता उचित पैकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा मे प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले मे, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियो की जॉच / निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एव कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नही होगी।

20. प्रदाय हेतु सविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सतुष्टि के अनुसार नही किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

21 निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

22 (i) सुपुर्दगी अवधि – निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए . . द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा–

क्र0 स0	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि	15 दिवस या आदेशानुसार

(ii) अतिरिक्त मदो या अतिरिक्त परिमाणे के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजो मे उपबधित हो, सविदा मे दी गयी दरो और शर्तो पर दिये जा सकेगे यदि मूल आदेश खूली प्रतियोगी बोलिया आमत्रित करने के पश्चात दिया गया था । प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी । पुनरादेश की सीमाए निम्नलिखित होगी–

(क) सकर्मो की दशा मे व्यष्टिक मदो की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल सविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ख) मूल सविदा के माल या सेवाओ के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओ की खरीद नही करता है या निविदा प्रपत्र मे निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा मे माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नही होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

23. बोली प्रतिभूतिः—

1. बोली प्रतिभूति दस हजार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सिमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध, मौके पर कय, एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्वतियो द्वारा उपापन के मामले मे नही ली जायेगी।

2 खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर सविदा, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले मे बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा मे यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0 5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा मे जिनके मामले औद्योगिक एव वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालो से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया मे भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नही हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना मे यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3 बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागो और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित या प्रबधित उपकमो, निगमो, स्वायत निकायो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियो सहकारी सोसाइटियो और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपकम और कम्पनियो से ली जायेगी।

4 बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की बैकर चैक/मांगदेय ड्राफ्ट रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें बद लिफाफे मे स्टेशनरी अनुभाग निदेशालय राजस्थान जयपुर मे जमा करवाया जावेगा।

5 उपापन संस्था के पास अन्य बोलियो के प्रतिक्षित विनिश्चय के संबध रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति मे समायोजित नही की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुन आमन्त्रित किये जाने की दशा मे विचार मे ली जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति नकद बैकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैक के विनिर्दिष्ट रूपविधान मे बैक गारटी या सरकारी विभागो की दशा मे ई.जी.आर.ए.एस के माध्यम से जमा के रूप मे दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

9 बोली दस्तावेजो मे यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा मे बोली दस्तावेजों मे यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत मे किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

10. यह अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

11 बोली प्रतिभूति के रूप मे प्रस्तुत बैक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन सस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नही रह गया है।

12 असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

13 बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलो मे समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात .—

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/सकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/सकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या सकर्म का निष्पादन प्रारम करने मे असफल रहता है

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/सकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमो के अध्याय 6 मे विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिता के किसी उपलब्ध का भग करता है।

14 सफल बोली लगाने वाले की दशा मे, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

15 उपापन सस्था निम्नलिखित दशाओ के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजो मे यह अनुबध नही हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

24 **कार्य सम्पादन प्रतिभूति.–** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागो और ऐसे उपक्रमो, निगमों, स्वायत्त निकायो, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियत्रण या प्रबध मे हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबध को शिथिल कर सकेगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामल में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज मे विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले मे सकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगो के मामले मे माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट

परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों मे से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :-

(क) "ई जी ए एस. के माध्यम से जमा

(ख) किसी अनुसूचित बैक का बैक ड्राफ्ट या बैकर चैक

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान मे किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमो के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसगत नियमो के अधीन बधक रखी जा सकती हो। बोली के समय व उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन सस्था के नाम अतरित की जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैक की बैक गारटी/गारटियां यह जारी करने वाले बैक से सत्यापित करायी जायेगी। बैक गारटी से सबधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 मे वर्णित के समान होगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन सस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन सस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैक की ओर से उपापन सस्था को सबधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का माग पर सदाय/समयपूर्ण सदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा मे नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(4) उप-नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड) के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारटी बाध्यताओ और रखरखाव दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले समस्त सविदाजात बाध्यताओ के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनो की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

25. करार का निष्पादन.-

(1) कोई उपापन सविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज मे कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नही की गयी हो वहा उस तारीख से पद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि मे लिखित उपापन सविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने मे विफल रहता है तो उपापन सस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमो के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन सस्था, ऐसे मामलों मे उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज मे उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरो पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

'(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

26. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एव लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध मे जिसके लिये वे इस रूप मे रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमाक · प1(1)वित्त/सा नि लेनि /2007 दिनाक 19 10 2010 परिपत्र सख्या 24/2010 मे वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि मे छूट देयनही होगी।

32 कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो मे समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्ही निबधनो और शर्तो का उल्लघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढग से करने मे असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

27. करार पत्र को पूर्ण करने एव उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) नि शुल्क दी जाएगी।

28. (i) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रास्पोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल मे से उस भाडे के 5% की दर से विभागीय प्रभारो की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर आर केवल बैक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे मे भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन नही किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगे।

29. भुगतान :–

(i) जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध मे,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलो के सम्बन्ध मे जिनमे परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशो के अनुरूप हो ।

30. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है –(इस संबध मे यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र मे अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½ %
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहिप अवधि की आधी अवधि से अनअधिक के लिए	5 %
	(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहिप अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½ %
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 %

(2) प्रदाय मे विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओ के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय मे वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि मे वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

31 वसूलियॉं – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालो की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

32 निविदादाताओ को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वय की व्यवस्था करनी चाहिए।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप मे कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

34 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओ के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के

लिएं या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदो को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

35. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पजीकृत हो तो पजीयन सख्या एव उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले मे आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले मे कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

36 यदि सविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या सविदा की शर्तो के उल्लघन के सम्बन्ध मे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप मे अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप--अधिकारी इस सविदा से सबद्ध नही होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

37 निविदादाताओ द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 ''सत्यनिष्ठा सहिता'' का उल्लघन की दशा मे उपापन सस्था धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 46 मे विहित प्रावधानानुसार कार्यवाही करने की हकदार होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता स्वय की होगी।

38 निविदा के साथ सलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज बोली के साथ ऑनलाईन (स्कैन कर) अपलोड करना अत्यावश्यक है।

39 समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि सस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान मे स्थित न्यायालयो मे ही की जाएगी, अन्यत्र नही की जाएगी।

40 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉं आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एव लेखा नियमो एव राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होगे।

एनेक्सर–"एच"

नोटः– अलग से लिफाफे में जिस पर वित्तीय निविदा अंकित हो प्रस्तुत किया जावें

वित्तीय निविदा (केवल दरें अंकित की जावें)

क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) का विवरण

क्र0 सं0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	अनुमानित मात्रा 3	समस्त कर/जीएसटी सहित कुल कीमत प्रति नग/प्रति पैकेट			
			दर प्रति पैकिट/प्रति नग	RGST	CGST	कुल मूल्य
1	टाईप कार्बन, नीले/काले 210X330 MM	300 पैकेट				
2	फाइल लगोट रेग्जीन/क्राफ्ट पेपर से निर्मित 4X27 इच	20000 नग				
3	गोन्द सुपिरियर क्वालिटी 300 एम.एल	600 शीशी				
4	फाइल लेस दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 24 ई.व(9/24) सुपिरियर क्वालिटी	1000 ग्रूस				
5	फाइल टेग दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 8 इच सुपिरियर क्वालिटी	2000 ग्रूस				
6	फैक्स रोल 30 मीटर	1000 रोल				
7	आलपिन सुपिरियर क्वालिटी 100 ग्राम प्रत्येक पैकेट	1000 पैकेट				
8	स्लीप पैड न 8 लाइनदार सुपिरियर क्वालिटी	300 नग				
9	होल्डर रिफिल सहित डेस्क होल्डर	100 नग				
10	रिफिल सादा लाल/नीली	800 नग				
11	जोटर रिफिल लाल/नीली	300 नग				
12	पेपर व्हेट कॉच के	500 नग				
13	स्टाम्प पैड मिडियम 100mm x 70mm	200 नग				
14	रिसिप्ट रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	300 नग				
15.	डिस्पेच रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	300 नग				
16	डाक पुस्तिका लेजर पेपर 200 पेज	500 नग				
17	दो मुह के होल्डर लाल/नीले	100 नग				
18	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 215X345 एमएम (एफएस साईज)	1000 नग				
19	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम (ए–4 साईज)	1500 नग				
20	फैक्स थर्मल रिबन	300 नग				
21	रबड सुपिरियर क्वालिटी	150 नग				
22	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी ए–4 साइज विभाग के मौनोग्राम सहित	1000 नग				

निविदादाता के हस्ताक्षर

23	उपस्थिति पजिका 17X27/4 70 जीएसएम 48 पृष्ठ	100 नग				
24	वाहन के लिए लॉक बुक प्रत्येक लॉक बुक मे 300 पृष्ठ	100 नग				
25	डाक पेड प्लास्टिक स्टेण्डर्ड साइज	100 नग				
26	हाई लाईटर 1x5 प्रत्येक पैकेट	30 पैकेट				
27	पेन ऐड्जेल	500 नग				
28	पेन रिफिल ऐड्जेल	500 नग				
29	पेन पॉयलेट	300 नग				
30	स्टेनो बुक	100 नग				
31	फाईल कवर कोवरा	100 नग				
32	मोमबत्ती	100 नग				
33	चपडी	10 के जी				
34	स्ट्रीप फाईल	50 नग				
35	डिलिंग क्लर्क डायरी	50 नग				
36	स्टाम्प पेड बडी साईज	50 नग				
37	वी सिग्नेचर पेन	200 नग				
38	स्टाम्प सील कम्प्युटराईज पर लाईन	500 नग				
39	व्हाईट फ्लूड पेन 30 एम एल	200 नग				
40	कलर्ड स्पाइरल डायरी	200 नग				
41	सी डी आर 1x48x 700 MB	1000 नग				
42	शॉपनर सुपिरियर क्वालिटी	150 नग				
43	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी एफएस साइज विभा के मोनोग्राम सहित	1000 नग				
44	स्पेरियल डायरी 6 न	200 नग				
45	पिन कुशन मेगनेटिक प्लास्टिक	300 नग				
46	पेपर व्हेट प्लास्टिक	500 नग				
47	बॉल पैन बडी साइज	1000 नग				
48	पैन स्टेण्ड प्लास्टिक	100 नग				
49	स्टेपलर पिन 10 न 10-1 एम	500 पैकेट				
50	स्टेपलर पिन 24 न 24/6	400 पैकेट				

निविदादाता के हस्ताक्षर

51	क्लर्ड फ्लैप्स 1x3 (24.4 mm x 76 mm) प्रति पैकेट 3 कलर प्रति पैकेट 50 शीट्स	500 पैकेट				
52	रूल पेन्सिल एच बी सुपिरियल क्वालिटी	150 पैकेट प्रत्येक पैकेट मे 10				
53	ए सी आर फार्म राजपत्रित / अराजपत्रित हरा पेपर 17x27/2 60 जीएसएम पेपर	1500 नग				
54	नोटशीट मय कार्यालय का नाम 75 जीएसएम लेजर पेपर फुल साइज	60000 नग				
55	इन्डेक्स फाईल फोल्डर	50 नग				
56	प्लास्टिक लिफ फोल्डर	100 नग				
57	प्लास्टिक कार्ड फोल्डर	50 नग				
58	सी डी आर डब्ल्यू	300 नग				
59	पेपर कटर	150 नग				
60	पिंटिग स्टेण्ड	20 नग				
61	मार्कर पेन	150 नग				
62	स्टॉक रजिस्टर 300 पेज 17x27/4	10 नग				
63	पोकर प्लास्टिक	400 नग				
64	स्टाम्प पेड की इक 30एमएल	100 नग				
65	रिंग फाईल प्लास्टिक	200 नग				
66	स्केल 12" प्लास्टिक	100 नग				
67	सी डी मार्कर पैन (सीडी पर लिखने वाले) सभी कलर	150 नग				
68	लाईनदार रजिस्टर 60 जीएएम पेपर (17X27/4 इच 300 पेज)	500 नग				
69	लाईनदार रजिस्टर 150 पेज (19X30 सेमी) पेपर की साईज	300 नग				
70	एल्फाबेटिक रजिस्टर 500 पृष्ठ	200 नग				
71	एल्फाबेटिक रजिस्टर 300 पृष्ठ	200 नग				
72	जैम क्लिप (100 नग प्रति पैकेट) 30 एम एम	200 नग				
73	जैम क्लिप प्लास्टिक कोटेड (100 क्लिप प्रति पैकेट 28, 33 एमएम) Zen एव इसके अनुरूप	200 नग				
74	ट्रान्सपरेन्ट टेप 1 इच 45–55 मीटर	300 नग				
75	ट्रान्सपरेन्ट टेप 2 इंच 45–55 मीटर	300 नग				
76	खाकी टेपरोल 2 इच 50 मीटर	300 नग				
77	बाईन्डर क्लिप– 19 एमएम	500 नग				

निविदादाता के हस्ताक्षर

78.	बाईन्डर क्लिप– 25 एमएम	500 नग				
79	बाईन्डर क्लिप– 32 एमएम	500 नग				
80	बाईन्डर क्लिप– 41 एमएम	300 नग				
81	ग्ल्यू स्टीक 15 ग्राम	500 नग				
82	स्ट्रीप फाईल ए–4 साईज	300 नग				
83	एन्गेजमेन्ट स्टेण्ड प्लास्टिक "6X8" साईज	200 नग				
84	खाकी पेपर (स्टार क्राफ्ट 100 जीएसएम) 36X46	50 रिम				
85	पे पोस्टिंग रजिस्टर आर बी 200 पृष्ठ	200 नग				
86	आकस्मिक खर्च पजिका 200 पृष्ठ	10 नग				
87	विल रजिस्टर आर बी	50 नग				
88	विल ट्रेजरी रजिस्टर आर बी	50 नग				
89	लिफाफे साइज क्राफ्ट क्लॉथ कपड़ा 16X12	10000 नग				
90	लिफाफे क्राफ्ट सुपिरियर क्वालिटी 10X12 मय नाम के	10000 नग				
91	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 11X5 मय नाम के	10000 नग				
92	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 9X4 मय नाम के	10000 नग				
93	फाइल पैड फुल फ्लेप मय डोरी 32 औन्स गत्ता	30000 नग				
94	फाइल कवर सुपिरियर क्वालिटी 2 पीस मे	40000 नग				

नोट –

1 निविदा के साथ सभी आइटमो के सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एव क्रय गुणवत्ता पर आधारित होगा ।

2. वित्तीय निविदा मे दरे अकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि एनेक्सर "ई" के कॉलम सख्या 4 मे जो मेक/स्पेसिफिकेशन अकित किया है, उसी वस्तु/सामग्री की दरे वित्तीय निविदा मे अकित की जावे।

3 निविदादाता द्वारा एनेक्सर "आई" मे नमूना प्रस्तुत किया है अथवा नही अकित किया जावे ।

4 दरे ऑनलाईन **e-proc** के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत करने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1 निविदादाता का नाम
2 डाक का पता
3 टेलीफोन न (दुकान) .. ..
(मोबाईल) .

जयपुर, दिनाक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

एनेक्सर–"आई"

क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री (स्टेशनरी आईटम) हेतु नमूने का विवरण

क्र0 स0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	नमूना प्रस्तुत करना हैं अथवा नहीं 3	फर्म द्वारा नमूना प्रस्तुत किया हैं अथवा नही (हॉ/नही) 4
1	टाईप कार्बन, नीले/काले 210X330 MM	हॉ	
2	फाइल लगोट रेग्जीन/क्राफ्ट पेपर से निर्मित 4X27 इच	हॉ	
3	गोन्द सुपिरियर क्वालिटी 300 एम एल	हॉ	
4	फाइल लेस दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 24 ईच(9/24) सुपिरियर क्वालिटी	हॉ	
5	फाइल टेग दोनो सिरे स्टील कैप युक्त 8 इच सुपिरियर क्वालिटी	हॉ	
6	फैक्स रोल 30 मीटर	हॉ	
7	आलपिन सुपिरियर क्वालिटी 100 ग्राम प्रत्येक पैकेट	हॉ	
8	स्लीप पैड न 8 लाइनदार सुपिरियर क्वालिटी	हॉ	
9	होल्डर रिफिल सहित डेस्क होल्डर	हॉ	
10	रिफिल सादा लाल/नीली	हॉ	
11	जोटर रिफिल लाल/नीली	हॉ	
12	पेपर वेट कॉच के	हॉ	
13	स्टाम्प पैड मिडियम 100mm x 70mm	हॉ	
14	रिसिप्ट रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	हॉ	
15	डिस्पेच रजिस्टर लेजर पेपर 300 पेज	हॉ	
16	डाक पुस्तिका लेजर पेपर 200 पेज	हॉ	
17	दो मुह के होल्डर लाल/नीले	हॉ	
18	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 215X345 एमएम (एफएस साईज)	हॉ	
19	फोटो स्टेट रिम आईएस (मिल पैक) 500 शीट प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम (ए–4 साईज)	हॉ	
20	फैक्स थर्मल रिबन	हॉ	
21	रबड सुपिरियर क्वालिटी	हॉ	
22	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी ए–4 साइज विभाग के मौनोग्राम सहित	हॉ	
23	उपस्थिति पजिका 17X27/4 70 जीएसएम 48 पृष्ठ	हॉ	
24	वाहन के लिए लॉक बुक प्रत्येक लॉक बुक में 300 पृष्ठ	हॉ	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0 1	वस्तु का नाम मय विर्निदेशों नग 2	नमूना प्रस्तुत करना हैं अथवा नहीं 3	फर्म द्वारा नमूना प्रस्तुत किया हैं अथवा नही (हॉ/नही) 4
25	डाक पेड प्लास्टिक स्टेण्डर्ड साइज	हॉ	
26	हाई लाईटर 1x5 प्रत्यक पैकेट	हॉ	
27	पेन ऐडजेल	नही	
28	पेन रिफिल ऐडजेल	नही	
29	पेन पॉयलेट	नही	
30	स्टेनो बुक	हॉ	
31	फाईल कवर कोबरा	हॉ	
32	मोमबत्ती	नही	
33	चपडी	नही	
34	स्ट्रीप फाईल	हॉ	
35	डिलिंग क्लर्क डायरी	हॉ	
36	स्टाम्प पेड बडी साईज	हॉ	
37	वी सिग्नेचर पेन	हॉ	
38	स्टाम्प रील कम्प्युटराईज पर लाईन	नही	
39	व्हाईट फ्लूड पेन 30 एम एल	हॉ	
40	कलर्ड स्पाइरल डायरी	हॉ	
41	सी डी आर 1x48x 700 MB	हॉ	
42	शॉपनर सुपिरियर क्वालिटी	नही	
43	प्लास्टिक फोल्डर सुपिरियर क्वालिटी एफएस साइज विभा के मोनोग्राम सहित	हॉ	
44	स्पेरियल डायरी 6 न	हॉ	
45	पिन कुशन मेगनेटिक प्लास्टिक	हॉ	
46	पेपर व्हेट प्लास्टिक	हॉ	
47	वॉल पैन बडी साइज	हॉ	
48	पैन स्टेण्ड प्लास्टिक	हॉ	
49	स्टेपलर पिन 10 न 10–1 एम	हॉ	
50	स्टेपलर पिन 24 न 24/6	हॉ	

निविदादाता के हस्ताक्षर

51	क्लर्ड फ्लैप्स 1x3 (24.4 mm x 76 mm) प्रति पैकेट 3 कलर प्रति पैकेट 50 शीट्स	हॉ	
52	रूल पेन्सिल एच बी सुपिरियल क्वालिटी	नही	
53	ए सी आर फार्म राजपत्रित/अराजपत्रित हरा पेपर 17x27/2 60 जीएसएम पेपर	नही	
54	नोटशीट मय कार्यालय का नाम 75 जीएसएम लेजर पेपर फुल साइज	हॉ	
55	इन्टेक्स फाईल फोल्डर	हॉ	
56	प्लास्टिक लिफ फोल्डर	हॉ	
57	प्लास्टिक कार्ड फोल्डर	हॉ	
58	सी डी आर डब्ल्यू	हॉ	
59	पेपर कटर	हॉ	
60	मिटिंग स्टेण्ड	हॉ	
61	मार्कर पेन	हॉ	
62	स्टॉक रजिस्टर 300 पेज 17x27/4	हॉ	
63	पाकर प्लास्टिक	हॉ	
64	स्टाम्प पेड की इंक 30एमएल	हॉ	
65	रिंग फाईल प्लास्टिक	हॉ	
66	स्केल 12" प्लास्टिक	हॉ	
67	सी डी मार्कर पैन (सीडी पर लिखने वाले) सभी कलर	हॉ	
68	लाईनदार रजिस्टर 60 जीएसएम पेपर (17X27/4 इंच 300 पेज)	हॉ	
69	लाईनदार रजिस्टर 150 पेज (19X30 सेमी) पेपर की साईज	हॉ	
70	एल्फाबेटिक रजिस्टर 500 पृष्ठ	हॉ	
71	एल्फाबेटिक रजिस्टर 300 पृष्ठ	हॉ	
72	जैम क्लिप (100 नग प्रति पैकेट) 30 एम.एम.	हॉ	
73	जैम क्लिप प्लास्टिक कोटेड (100 क्लिप प्रति पैकेट 28, 33 एमएम) Zen एव इसके अनुरूप	हॉ	
74.	ट्रान्सपरेन्ट टेप 1 इंच 45–55 मीटर	हॉ	
75	ट्रान्सपरेन्ट टेप 2 इंच 45–55 मीटर	हॉ	
76	खाकी टेपरोल 2 इंच 50 मीटर	हॉ	
77	बाईन्डर क्लिप– 19 एमएम	हॉ	
78	बाईन्डर क्लिप– 25 एमएम	हॉ	

निविदादाता के हस्ताक्षर

79.	बाईन्डर क्लिप– 32 एमएम	हॉ	
80	बाईन्डर क्लिप– 41 एमएम	हॉ	
81	ग्ल्यू स्टीक 15 ग्राम	हॉ	
82	स्ट्रीप फाईल ए–4 साईज	हॉ	
83	एन्गेजमेन्ट स्टेण्ड प्लास्टिक "6X8" साईज	हॉ	
84	खाकी पेपर (स्टार क्राफ्ट 100 जीएसएम) 36X46	नही	
85	पे पोस्टिग रजिस्टर आर बी 200 पृष्ठ	नही	
86	आकस्मिक खर्च पजिका 200 पृष्ठ	नही	
87	बिल रजिस्टर आर वी	नही	
88	बिल ट्रेजरी रजिस्टर आर वी	नही	
89	लिफाफे साइज क्राफ्ट क्लॉथ कपड़ा 16X12	हॉ	
90	लिफाफे क्राफ्ट सुपिरियर क्वालिटी 10X12 मय नाम के	हॉ	
91	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 11X5 मय नाम के	हॉ	
92	लिफाफे सुपिरियर क्वालिटी 9X4 मय नाम के	हॉ	
93	फाइल पैड फुल फ्लेप मय डोरी 32 औन्स गत्ता	हॉ	
94	फाइल कवर सुपिरियर क्वालिटी 2 पीस मे	हॉ	

निविदादाता के हस्ताक्षर

Office of the District Industries Centre................................

CERTIFICATE
(See clause 10)

File No..
Date ....

It is certified that M/s... ....was inspected by ....on dated...........................and the facts mentioned by the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification. The certificate is valid for one year from the date of its issue.

Office Seal

Signature
(Full Name of the Officer)
General Manager
District Industries Centre
Rubber Seal/Stamp

Enclosure- (1) Application
(2)
(3)